अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को 11 मई, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, तथा राज्य में महामारी की रोकथाम और नियंत्रण का प्रावधान करता है। अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **परिभाषाएं:** अध्यादेश महामारी को ऐसे सांसर्गिक या संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित करता है जो पूरे राज्य या उसके एक हिस्से में फैली हुई है। इसके अंतर्गत लॉकडाउन में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सड़क और प्रदेश के भीतर जल मार्गों पर परिवहन के सभी साधनों को पूरी तरह या कुछ प्रतिबंधों के साथ रद्द करना, (ii) सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध, और (iii) कारखानों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और बाजार में कामकाज पर प्रतिबंध।

- **राज्य सरकार की शक्तियां:** राज्य सरकार किसी बीमारी को महामारी के तौर पर अधिसूचित कर सकती है, अगर वह इस बात से संतुष्ट है कि कानून और मेडिकल प्रैक्टिस के सामान्य प्रावधान बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। महामारी की घोषणा तीन महीने तक लागू रहेगी, जिसे सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार महामारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए रेगुलेशन बना सकती है। यह रेगुलेशन तब तक लागू रहेंगे, जब तक बीमारी को महामारी माना जाएगा। राज्य सरकार क्वारंटाइन, आइसोलेशन जैसे प्रतिबंध लगा सकती है, इलाके को सील कर सकती है या बीमारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए लॉकडाउन कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह निम्नलिखित उपाय कर सकती है: (i) रेलवे और हवाई मार्ग के जरिए यात्रा करने वाले लोगों का निरीक्षण, और (ii) ऐसे लोगों को अस्पतालों और अस्थायी आवासों में अलग-थलग करना, जिनके बीमारी से संक्रमित होने का संदेह है। सरकार जनता के बीच अफवाह, गलत सूचनाओं और डर को फैलने से रोकने के लिए महामारी के बारे में सूचनाओं के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

- **महामारी नियंत्रण अथॉरिटीज़:** अध्यादेश राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण अथॉरिटीज़ के गठन का प्रावधान करता है। राज्य स्तरीय अथॉरिटी में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव इत्यादि शामिल होंगे। राज्य अथॉरिटी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी: (i) महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार को सलाह देना और एक समान उपायों का आदेश देना, और (ii) केंद्र सरकार और राज्य की अन्य अथॉरिटीज़ के साथ समन्वय स्थापित करना, इत्यादि। जिला अथॉरिटी में जिला मेजिस्ट्रेट (अध्यक्ष), जिला पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे। जिला अथॉरिटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, (ii) लोक व्यवस्था बनाए रखना, और (iii) जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। जिला अथॉरिटी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कोई संपत्ति, मोटर वाहन या निजी चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र की मांग कर सकती है। राज्य सरकार या राज्य महामारी नियंत्रण अथॉरिटी लॉकडाउन का आदेश दे सकती है। जिला अथॉरिटी जिले में ऐसा आदेश जारी कर सकती है।

- **अपराध:** अध्यादेश कुछ अपराधों को निर्दिष्ट करता है और ऐसे अपराधों के लिए जेल की सजा और जुर्माने को निर्धारित करता है (देखें नीचे दी गई तालिका)। ये अपराध संज्ञेय (व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार किया जा सकता है) और गैर जमानती हैं।

तालिका 1: अध्यादेश के अंतर्गत अपराध

अपराध	जेल	जुर्माना (रुपए में)
क्वारंटाइन या आइसोलेशन का उल्लंघन	1 - 3 वर्ष	10,000 - 1 लाख
इलाज के दौरान अस्पताल से भागना		
झूठी या भ्रामक सूचना को प्रकाशित करना	6 महीने - 3 वर्ष	
संक्रमण को छिपाना या डिटेंशन से भागना	1 - 3 वर्ष	50,000 - 1 लाख
इलाज या आइसोलेशन के दौरान अश्लील कृत्य करना		
संक्रमित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल		50,000 - 2 लाख
जान-बूझकर दूसरों को बीमारी फैलाना	2 - 5 वर्ष	
स्वास्थ्य सेवा कर्मियों या जिला प्रशासन से हिंसा करना	3 महीने - 5 वर्ष	
स्वास्थ्य सेवा कर्मियों से हिंसा करना जिससे गंभीर नुकसान हो	6 महीने - 7 वर्ष	1 लाख - 5 लाख
जान-बूझकर सामूहिक संक्रमण (पांच या उससे अधिक लोग) फैलाना	3 - 10 वर्ष	

- **नुकसान की भरपाई:** अगर किन्हीं व्यक्तियों या संगठनों ने जान-बूझकर या लापरवाही में कोई नुकसान किया हो

अखिल एन.आर.
akhil@prsindia.org

20 अगस्त, 2020

तो राज्य सरकार उनसे उस नुकसान की वसूली कर सकती है। जिला प्रशासन, जरूरत होने पर, जांच के बाद उन व्यक्तियों की घोषणा कर सकता है, जिन्हें चोट लगी हो, या नुकसान हुआ हो, और उन लोगों के लिए मुआवजे का निर्धारण कर सकता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।